1

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20रु Rs.20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2019 पुर्नावलोकन

पुनर्विलोकन-0774/2019/भोपाल/भू.रा.

1– श्रीमती उमाबाई पत्नी स्व श्री रघवर सिंह,
2– राजू लोधी पुत्र स्व0 श्री रघवर सिंह,
3– मिथुन कुमार पुत्र स्व0 श्री रघवर सिंह,
4– कु0 मनियाबाई पुत्री स्व0 श्री रघवरसिंह, क्रमांक 4 नाबालिग द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती उमाबाई, निवासीगण – ग्राम करारिया फर्मा कोच फैक्ट्री के पास, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0)

--- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज 4-7-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-7-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-19
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– श्रीमती संध्यासिंह पत्नी श्री पी0के0सिंह,
2– श्रीमती अरूणा पत्नी श्री बी0के0 सिंह, निवासीगण – म0नं. 301, 302 ओम कॉम्पलैक्स कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

<u>पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2015 पारित न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1797–पीबीआर/2009</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0774/2019/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
27/8/19	इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1797-पीबीआर/09 में पारित आदेश दिनांक 24-2-2015 के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अध्ययन किया । ग्राम कोलुआकला तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे क्रमांक 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि रघवरसिंह के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि को श्रीमती संध्या सिंह एवं श्रीमती अरूणा सिंह ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 14-6-2007 को क्रय किया । तदोपरांत भूमि पर क्रेताओं का नामांतरण स्वीकृत किया गया । आवेदकगण श्रीमती उमाबाई, राजू लोधी, मिथुन कुमार तथा कुमारी मनियाबाई मृतक श्री रघवर के वारिस हैं तथा इसी आधार पर उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों में प्रथम तथा द्वितीय अपील दर्ज की थी । पुनर्विलोकन के आधारों में मुख्यतः आवेदकगण मृतक की संपत्ति में अपना समान भाग होना बताया है । उनके द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया में कतिपय विसंगतियों की तरफ भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । पुनर्विलोकन याचिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रघवर की मृत्यु दिनांक 11-7-2007 को हुई थी जबकि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी में आदेश दिनांक 30-6-07 को पारित किया था । 3/ पुनर्विलोकन के जो भी आधार प्रस्तुत किए गये उनमें सम्मिलित बिन्दुओं का विश्लेषण मेरे पूर्वाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24-2-2015 में किया है । पुनर्विलोकन याचिका में विधि अथवा तथ्यों संबंधी ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसके आधार पर याचिका को स्वीकार किया जा सके । पुनर्विलोकन याचिका निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये । 27/8/19 (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष	